


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
वैशाली १ डा. २५३ करकेरी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर	191 / 2021	GCMS No. 2021/910
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
25/11/2021	<p>वादी श्री वैशाली पुत्र डा. २५३ जाति ५५८ निवासी करकेरी द्वारा आज “प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 “ कैम्प ग्राम पंचायत करकेरी में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत २०७४-२०७५ ग्राम करकेरी पटवार मण्डल करकेरी के खाता नम्बर 187 मे वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि वैशाली पुत्र डा. २५३ दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम वैशाली पुत्र डा. २५३ है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 7683 4817 8473 मतदाता पहचान पत्र 25/11/53 754 अन्य दस्तावेज - की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी करकेरी भू.अ.नि. सि. सि. एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	
	 उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)	

840-812

